

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यापीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक 6/5063 /

जबलपुर, दिनांक २९/११/२०१९

श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/६०७०, जबलपुर दिनांक ११.१२.२०१७ एवं आदेश क्रमांक सी/६७६९, जबलपुर दिनांक १८.१२.२०१८ के तारतम्य में सीनियर पर्सनल ऑफिसर के पद पर आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिए सविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

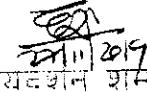

(राजेंद्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 6/5063 /

जबलपुर, दिनांक २९/११/२०१९

प्रतिलिपि :-

१. रजिस्ट्रार, प्रशासन/रजिस्ट्रार -कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
२. चीफ रिसटम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
३. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
४. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
५. डिप्टी रजिस्ट्रार, (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
६. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
७. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
८. सहायक स्था./सेवापूर्विका/अवकाश/वैतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
९. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
१०. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
११. श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।


(पियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

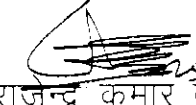
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

क्रमांक C/5069 / // आदेश //

जबलपुर, दिनांक 24/11/2019

श्री इस्लाम नवी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनके गृह जिले शिवपुरी से कक्षा दसवीं की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/171 /

जबलपुर, दिनांक 24/11/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री इस्लाम नवी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5071 /

जबलपुर, दिनांक 27/11/2019

श्री ताहिर खान, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को एस.पी.एस.ए.(एस.ए.) के कार्यालय में पदस्थ रहते हुये दिनांक 22.08.2019 को रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक बी/4156 एवं बी/4158, दिनांक 22.08.2019 प्राप्त कर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतते हुये उक्त दोनों पृष्ठांकन अपने अधिकारी को प्रदाय नहीं करने तथा उक्त संबंध में भ्रमात्मक रिपोर्ट (Misleading report) प्रस्तुत करने के फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है, कि भविष्य में अपने कार्यालयीन कर्तव्य के प्रति सजग रहें, असफल रहने पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5072 /

जबलपुर, दिनांक 27/11/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम./प्रोटो.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्थापना, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. श्री ताहिर खान, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शनि शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5046 /

जबलपुर, दिनांक 25/11/2019

श्री घनश्याम पाण्डे, कोर्ट अटेंडेंट / रूम अटेंडेंट / अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को प्रेषक शाखा में पदस्थ रहते हुये एस.पी.एस.ए को संबोधित रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक बी/4156 एवं बी/4158, दिनांक 22.08.2019 को तामील न करने तथा उक्त संवध में भ्रमात्मक रिपोर्ट (Misleading report) प्रस्तुत करने के फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है, कि भविष्य में अपने कार्यालयीन कर्तव्य के प्रति सजग रहें, असफल रहने पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार बाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5047 /

जबलपुर, दिनांक 25/11/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम./प्रोटो.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्थापना, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक स्थापना / सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. श्री घनश्याम पाण्डे, कोर्ट अटेंडेंट / रूम अटेंडेंट / अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शनी शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5075 /

जबलपुर, दिनांक 27/11/2019

दो-14-85/86 भाग-पांच

कुमारी अंकिता मिश्रा, आकरिमकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का विवाह श्री नीलेश कुमार द्विवेदी से संपन्न हो जाने के फलस्वरूप उनका नाम कुमारी अंकिता मिश्रा आत्मजा स्व. श्री राकेश प्रसाद मिश्रा के स्थान पर "श्रीमति अंकिता द्विवेदी पत्नि श्री नीलेश कुमार द्विवेदी" में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः कुमारी अंकिता मिश्रा, के समस्त शासकीय अभिलेख में कुमारी अंकिता मिश्रा आत्मजा स्व. श्री राकेश प्रसाद मिश्रा के स्थान पर "श्रीमति अंकिता द्विवेदी पत्नि श्री नीलेश कुमार द्विवेदी" अंकित किया जावे।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

 25.11.19

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5075 /

जबलपुर, दिनांक 27/11/2019

दो-14-85/86 भाग-पांच

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम (टी.एम.अनुभाग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर,
 2. रजिस्ट्रार (प्रशासन)/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001 के एम्प्लॉई डाटा बेस में प्रविष्टि हेतु,
 4. विक.अधि सह आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर प्रविष्टि संचालनालय कोष एवं लेखा, भोपाल के नवीन आई.एफ.एम.आई.एस. एप्लीकेशन साफ्टवेयर में कराने हेतु,
 5. जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर,
 6. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
 7. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 9. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम)(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 10. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम)....., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 11. असि रजिस्ट्रार(एम), समस्त, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 12. एडमिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 13. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवापुरस्तिका/वेतन पत्रक/पास बुक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 14. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 15. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 16. कुमारी अंकिता मिश्रा, आकरिमकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

 27.11.19
(प्रियदर्शनी शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)